**लार्सेन एंड टूब्रो द्वारा एक सीमेंट कारखाना स्थापित किया जाना**

786. **श्री लाखो राम अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लार्सेंस ऐंड टूब्रो का उनके द्वारा एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के संबंध में कोई आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाने को स्थापित करने की स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय और (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सीमेंट अनिवार्य लाइसेंसीकरण की सूची में नहीं आता और भारत सरकार को किसी अनुमति की जरूरत नहीं है ।

**Equity of Sick Public Sector Undertakings offered to Private Parties**

787. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to offer to private parties equity upto 100 per cent of sick Public Sector Undertakings which have been referred to the BIFR; and

(b) if so, whether the jobs for workers employed in these units would be protected?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**उत्तर प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय केंद्रों को केंद्रीय अनुदान**

788. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का वर्ष वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1992-93 के दौरान इस अनुदान राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी. जे. कुरियन)** : केन्द्र सरकार देश में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र का विकास करने तथा बढ़ावा देने के लिए ऋण तथा अनुदान के रूप में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को धन मुहैया करती है । इसकी एवज में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्र के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों तथा सीधे सहायता प्राप्त संस्थानों को धन मुहैया करता है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश को दी गई अनुदान राशि इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

| वर्ष | अनुदान की राशि |
|---|---|
| 1988-89 . . | 1544.43 |
| 1989-90 . . | 1627.81 |
| 1990-91 . . | 1779.80 |

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उत्तर प्रदेश सहित सारे देश में खादी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(1) उत्पाद तथा सीमा शुल्क से छूट ।

(2) खादी की बिक्री पर छूट देने का प्रावधान ।

(3) खादी की खरीद को प्राथमिकता देना ।

(4) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत डिजाईनों का शुरू करना ।

(5) खिादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के जरिए वपणन में सहायता देना ।

**मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना**

789. **श्री अजीत जोगी :**

**श्री राजू भाई ए परमार :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश से केन्द्रीय सरकार को उद्योग लगाने के कितने प्रस्ताव प्रति वर्ष प्राप्त हुए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए और कितने प्रस्तादों को अस्वीकार कर दिया गया;

(ग) प्रस्तावों को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) मंजूरी के लिए लम्बित प्रस्तावों का शीघ्र निपटारा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहो)** : (क) और (ख) निम्नलिखित तालिका में यह दिखाया गया है कि पिछले तीन वर्षों में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, कितने अनुमोदित हुए (आशय पत्र जारी हुए) और कितने अस्वीकार किये गये :—

| वर्ष | प्राप्त आवेदनों की संख्या | (30.6.92 को) दिये गये आशय पत्रों की संख्या | अस्वीकृत |
|---|---|---|---|
| 1989 | 252 | 51 | 123 |
| 1990 | 139 | 40 | 69 |
| 1991 | 144 | 16 | 26 |

(ग) अस्वीकृत होने के कारण प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न होते हैं। इनमें आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य/तकनीकी रूप से स्वस्थ न होने/अच्छी तरह तैयार न किये गये प्रस्ताव, चालू नीतिगत दिशानिर्देशों के अधीन न आने वाली निर्माण की मद स्थापना-स्थल दृष्टिकोण, उद्योग के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने वाला प्रस्ताव, निर्माण की प्रस्तावित रूपरेखा पर क्षमता के आगे लाइसेंसीकरण/सृजन की कोई गुंजाइश नहीं, कच्चे माल की दिक्कत आदि शामिल हैं।

(घ) अधिकांश लम्बित मामले बीयर, पोटेबल एल्कोहल तथा चीनी से संबंधित हैं। इन मामलों का निपटान अलग अलग प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा इस संबंध में अपनाई गई नीति पर निर्भर करता है।

**देश में लघु उद्योग क्षेत्र का विकास किया जाना**

790. **श्री अजीत जोगी :**

**श्री राजू भाई ए० परमार:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना लागू करने पर विचार कर रही है:

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या-क्या हैं जहां इस योजना को लागू किए जाने की संभावना है ?

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन)** : (क) से (ग) सरकार देश में लघु क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए अनेक योजना स्कीमों को कार्यान्वित कर रही हैं। कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजना स्कीमें औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्रों, परीक्षण केन्द्रों, प्रक्रिया और उत्पाद विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों,